ऑन लाईन नं. RCMS2015/00085

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0
प्रकरण सं0 02/2015
(राज0उप0 अधि0 की धारा 11/14)

1. हेतराम पुत्र श्री नानक राम जाति जाट निवासी पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

प्रार्थी

बनाम

1. आशाराम पुत्र श्री गुलाबराम जाति मेघवाल निवासी 10 एस.डी.पी. तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. प्रेम कुमार पुत्र श्री ख्यालीराम जाति जाट निवासी पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सादुलशहर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 रा0 उपनिवेशन अधिनियम

उपस्थित : श्री प्रेमप्रकाश मक्कड़ , अधिवक्ता प्रार्थी
श्री दयाराम छिम्पा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1
श्री राजवीर सिंह , अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–2

:: आदेश ::  दिनांक : 29.05.2026

प्रस्तुत शिकायत का सार है :–

1. यह कि प्रार्थी भारतीय नागरिक है। भारतीय नागरिक होने के कारण गलत व्यक्ति द्वारा की गई कार्यवाही या उसका अनुचित रूप से लाभ उठा रहे अप्रार्थीगण के खिलाफ शिकायत प्रस्तुत करने का अधिकारी है।
2. यह कि प्रार्थी निवेदन करता है कि अप्रार्थी संख्या 1 आशाराम पुत्र श्री गुलाबराम , ग्राम पंचायत पन्नीवाला जाटान, ग्राम 10 एस.डी.पी. में अनुसूचित जाति होने के कारण बी.पी.एल. का है जिसकी सूची इस प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न है।
3. यह कि प्रार्थी निवेदन करता है कि आशाराम अप्रार्थी संख्या–2 के दबाव में व उसका नाजायज फायदा उठाकर विवादित आराजी मुरब्बा नम्बर 9 पत्थर नम्बर 10/180 के किला नम्बर 2, 9, 18, 17, 24, 25 की कुल 1.580 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 10 पत्थर नम्बर 10/181 के किला नम्बर 5, 6, कुल 2 बीघा इस प्रकार मंगलाराम के नाम से कुल आराजी 8 बीघा वाके चक 14 एस.डी.पी. तहसील सादुलशहर के नाम से है जिसकी जमाबन्दी सलंग्न है।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

4. यह कि प्रार्थी को ज्ञान है कि अप्रार्थी संख्या–1 बी.पी.एल. है और वर्तमान समय में अप्रार्थी संख्या–2 जो जाति से जाट है ने राज्य सरकार को धोखा देने की गरज से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से उक्त आराजी का बैयनामा करवाकर मौके पर काबिज है और नाजायज फायदा बी.पी.एल. को जो अप्रार्थी संख्या–1 के नाम से है उठा रहा है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने राज्य सरकार को धोखा दिया है और इस धोखे की वजह से जमीन हरीजन की अप्रार्थी संख्या–2 अरसा दराज से काश्त कर रहा है, जबकि हरिजन की जमीन पर काबिज नहीं रह सकता और नाही काश्त कर सकता है।
5. यह कि प्रार्थी को अन्देशा है कि अप्रार्थी संख्या –1 से इस आराजी का बैयनामा किसी अन्य व्यक्ति को भी करवा सकता है, इसलिए इस आश्य का आदेश भी दिया जावें कि इस आराजी को किसी प्रकार से बेचान नहीं किया जावें और एक प्रति उप पंजीयन लालगढ को भेजी जावें ताकि वे किसी प्रकार के विक्रय को पंजीकृत न करें।
6. यह कि यह मामला पूर्णतः धोखाधड़ी व 11/14 राजस्थान उपनिवेशन का बनता है जो कि वर्तमान समय में इस आराजी पर अप्रार्थी संख्या–2 काबिज है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया जावें और उप तहसीलदार लालगढजाटान को इस आश्य का आदेश दिया जावें कि वह किसी प्रकार का विक्रय पंजीकृत न करें तथा तहसीलदार सादुलशहर को इस आश्य का आदेश दिया जावें कि उक्त आराजी को तुरन्त अपने कब्जे में लेकर अप्रार्थीगण को बेदखल करें और बाद जांच यह रकबा राज घोषित किया जाकर अन्य कार्यवाही की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये गये एवं रिकॉर्ड व रिपोर्ट तलब की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1 ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि मुझ प्रार्थी का पेशा काश्तकारी होने के कारण चक 14 एस.डी.पी. में 8 बीघा कृषि भूमि पारिवारिक बचत से तथा कुछ राशि उधार लेकर अपनी स्वेच्छा से क्रय की थी तथा उक्त कृषि भूमि पर कब्जा मन अप्रार्थी संख्या–1 का खरीद की रोज से चलता रहा। उसके उपरान्त मन अप्रार्थी संख्या–1 ने अपनी उक्त खरीदशुद भूमि को जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक 01.04.2016 को विक्रय कर दिया और कब्जा खरीददार राजकुमार पुत्र पुराराम, जाति मेघवाल निवासी लालगढ तहसील सादुलशहर को सम्भलवा दिया। बैयनामा की नकल सलंग्न जवाब प्रार्थना पत्र है। यह कहना गलत है कि मन अप्रार्थी संख्या–1 के नाम से अप्रार्थी संख्या–2 प्रेमकुमार की उक्त विवादित भूमि खरीद की गई हो। मेरे द्वारा राज्य सरकार को कोई धोखा नहीं दिया गया है। उक्त विवादित भूमि पर खरीद की रोज से कब्जा मेरा रहा है। उसके उपरान्त मुझ अप्रार्थी द्वारा अपनी खरीदशुदा भूमि को स्वेच्छा से धरेलू आवश्यकताओं के चलते विक्रय कर दिया है। धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधान केवल छुपाव करके गलत आवंटन

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

करवाने के मामलों पर लागू होते है न कि सद्भावनापूर्वक खरीद किए गए रकबा के सम्बन्ध में। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–2 ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि शिकायतकर्ता का यह कथन कि अप्रार्थी संख्या–1 मुझ अप्रार्थी संख्या–2 के दबाव में है तथा मेरे द्वारा नाजायज फायदा उठा अप्रार्थी संख्या–1 का उठाया जा रहा हो क्योंकि उक्त विवादित भूमि पर न तो कभी मेरा कब्जा रहा एवं न ही मेरे द्वारा सरकार को धोखा दिया गया। उक्त शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत में अंकित तथ्य धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम में कवर नहीं होते है क्योंकि धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति छुपाव करके गलत आवंटन करवाता है तो ही ऐसे व्यक्ति के विरूद्व धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की कार्यवाही की जा सकती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विचाराधीन प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा कथन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा पंजीकृत बैयनामा से जो विवादित आराजी मुरब्बा नम्बर 9 पत्थर नम्बर 10/180 के किला नम्बर 2, 9, 18, 17, 24, 25 की कुल 1.580 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 10 पत्थर नम्बर 10/181 के किला नम्बर 5, 6, कुल 2 कुल आराजी 8 बीघा भूमि बीघा मंगलाराम खरीद की गई है, जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। उक्त विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या–2 प्रेम कुमार पुत्र श्री ख्यालीराम द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 के नाम से खरीद कर कब्जा काश्त की जा रही है। अगर अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा काश्त की जा रही है तो अप्रार्थी संख्या–1 को आपत्ति होनी चाहिए , जो उसके द्वारा पेश नहीं की गई ना ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सादुलशहर के समक्ष धारा 183 बी के तहत कोई कार्यवाही की गई है। धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति तथ्य छुपाव करके गलत आवंटन करवाता है तो ही ऐसे व्यक्ति के विरूद्व धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की कार्यवाही की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र बिना अधिकार क्षेत्र के पेश किया गया है। जो खारिज किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया तो पाया कि अप्रार्थी संख्या–1 के द्वारा उक्त विवादित आराजी मुरब्बा नम्बर 9 पत्थर नम्बर 10/180 के किला नम्बर 2, 9, 18, 17, 24, 25 की कुल 1.580 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 10 पत्थर नम्बर 10/181 के किला नम्बर 5, 6, कुल 2 कुल आराजी 8 बीघा भूमि बीघा मंगलाराम खरीद की गई है, जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। उक्त विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या–2 प्रेम कुमार पुत्र श्री ख्यालीराम द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 के नाम से खरीद कर कब्जा काश्त की जा रही है के सम्बन्ध में नो अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा कोई आपत्ति पेश की है ना ही शिकायतकर्ता द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया जिससे प्रमाणित होता हो कि उक्त विवादित भूमि पर अप्रार्थी संख्या–2 के कब्जा काश्त में हो। शिकायतकर्ता द्वारा द्वारा प्रार्थना पत्र

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम में कवर नहीं होता है क्योंकि धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति तथ्य छुपाव करके गलत आवंटन करवाता है तो ही ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की कार्यवाही की जा सकती है। इसलिए प्रार्थी द्वारा की गई शिकायत निराधार होने के कारण खारिज होने योग्य है।

निष्कर्षतः, शिकायतकर्ता का शिकायती प्रार्थना पत्र राज0उप0 अधि0 की धारा 11/14 में कवर नहीं होने एवं आधारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की एक प्रति संबंधित तहसीलदार को एवं आदेश की एक प्रति मय रेकार्ड विधि परीक्षण हेतु विधि प्रकोष्ठ को भिजवाया जावे।

आदेश आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
अति0(प्रशासन) श्री गंगानगर।

जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)